

# प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 04.07.2024

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी के नेतृत्व में 30नि0 राहुल मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2024 धारा 115(2), 352,351(2), 117(2), 324(1) भा0न्या0स0 बढोत्तरी धारा 191(2),191(3),109 भा0न्या0स0 से संबंधित अभियुक्त 1.सुनील मौर्य पुत्र रमाकांत मौर्य 2.अभिषेक मौर्य उर्फ गोलू पुत्र जयराम मौर्य निवासीगण सहसी बंगला थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त 02 अदद डंडा व 01 अदद फावड़ा को बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.07.2024 को जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा लाठी डंडा व कुदाल से लैस होकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए मार पीट की गयी थी, जिससे वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा के भाई के सिर पर गंभीर चोट आयी थी। जिसके संबंध में थाना खजनी पर मु0अ0सं0 279/2024 धारा 115(2), 352,351(2), 117(2), 324(1) भा0न्या0स0 पंजीकृत किया गया था, विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 191(2), 191(3), 109 भा0न्या0स0 की बढोत्तरी की गयी है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. सुनील मौर्य पुत्र रमाकांत मौर्य निवासी सहसी बंगला थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. अभिषेक मौर्य उर्फ गोलू पुत्र जयराम मौर्य निवासी सहसी बंगला थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 279/2024 धारा 115(2), 352, 351(2), 117(2), 324(1) भा0न्या0स0 बढोत्तरी धारा 191(2), 191(3), 109 भा0न्या0स0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर

## बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 02 अदद डंडा व 01 अदद फावड़ा

## गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 राहुल मिश्रा थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 यशवन्त यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का0 अवधेश यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर